Memorandum Of Association

(येंउद्देश्य

बहुउदेशीय,सेसम्बंधित है)

1. महिलाओं, बालक, बालिकाओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व चारित्रिक विकास करना।

2. प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्चस्तर तक की शिक्षा/प्रशिक्षण केलिए विद्यालयों की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

3. सबको शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, महिला साक्षरता तथा जन शिक्षण संस्थान व सतत शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा अन्य, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना।

4. ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र व मलिन बस्तियों में शौचालयों, सफाई एवं स्वच्छता आदि की व्यवस्था कराना।

5. आर्थिक रूप से पिछड़े लोग अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनूसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्यवन करना तथा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

6. पत्र-पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना, समाजसेवी महापुरुषों व विद्वानों की जीवनी प्रकाशित करना, सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारीआम लोगों तक पहुंचाना साथ ही ज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था निःशुल्क करना।

7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेत्र चिकित्सा, कैन्सर व अन्य आम बीमारियों के उपचार हेतु प्रयास करना साथ ही 0 से 5 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना।

8. एड्स एवं अन्य भयंकर बीमारियों की जानकारी लागों को देना एवं उसके निदान के उपाय लोगों को बताना, प्रचार प्रसार करनाआदि।

9. ऊसर एवं बंजर भूमि कोअधिक उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना तथा कृषकों को नये-नये यंत्रों के बारे में जानकारी देना। कृषि का विकास करना कृषिवान की, भूमि सुधार,औषधि एवं सुगंधीय पौधों की खेती करना, नैडम एवं वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने का प्रशिक्षण देना। जैविक कृषि हेतु किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

10. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों व पर्यावरण शिक्षा तथा अधिक वृक्षारोपण के द्वारा प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास करना।

11. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ऐसी सभी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा आर्थिक रूप से पिछड़ों व निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार देना।

12. सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करना, सांस्कृतिक गोष्ठी, सेमिनार जन जातीय लोककला एवं विनिदृष्टि कला के विकास हेतु कार्य करना।

13. संगीत कला केन्द्रों आदि की स्थापना करना, वाद्य यन्त्रों का रखरखाव लुप्त हो रही संस्कृति को उजागर करना, अनुसंधान, प्रोत्साहन विषयक संगोष्ठी तथा जन्मशताब्दी समारोहों का आयोजन करना साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना एवं जागरूकता लाना।

14. युवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क संचालित करना तथा एकता सम्मेलन एवं युवाओं में एकता की भावना पैदा करना, क्रीड़ा/खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं युवाओं में नेतृत्व गुण प्रदान करना।

15. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का संचालन करना, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन करना तथा जूट से उत्पादित वस्तुओं को तैयार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देना एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।

16. अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य, विद्यालय, कृषि पशुपालन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन करना।

17. शिक्षित बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को टाइप, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज, टेलीविजन, रेडियो, बाल संरक्षण, सिलाई, कढ़ाई, डिजाइन, फैशन, टेडीवियर,मोटर मैकेनिक, स्क्रीन प्रिंटिंग, छपाई, ब्यूटीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, हस्त-शिल्प आदि पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

18. कृषि वानिकी, भूमि सुधार, औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की खेती करना, बंजर भूमि को सुधार कर उपयोगी एवं कृषि योग्य बनाना, जैविक कृषि हेतु किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

19. फल संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा फूड प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना करना व विभिन्न माध्यमों के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाना, फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

20. पशु कल्याण हेतु मोबाइल चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा पशु पक्षी कल्याणार्थ योजनाओं का संचालन करना।

21. दिव्यांगों के विकास केलिए विद्यालय आवास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा उन्हें रोजगार के योग्य बनाना।

22. अनाथालय, नारीसंरक्षण गृह, वृद्धाआश्रम, शिक्षापालन, गृह, परिवार, परामर्श केन्द्र, नशा उन्मूलन केन्द्रों एवं छात्रावासों आदि की स्थापना करना।

23. दान दाताओं, सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थाओं एवं विदेशी संस्थाओं से दान, अनुदान, ऋण तथा अन्य सहायता प्राप्त कर संस्था हित में कार्य करना।

24. स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए कार्यक्रमों का संचालन करना।

25. योग एवं योग चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पद्धति का प्रचार प्रसार करना।

26. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में नई तकनी की विषयक जानकारी देने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेन्टर की स्थापना करना।

27. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव-संसाधन विकास मंत्रालय, नावार्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर से कार्यक्रम संचालित करना।

28. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली मैनपावर एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में टेण्डर डालना एवं चयनित होने पर उसकी गुणवत्तापरक आपूर्ति करना।

29. उन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करना जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट21, 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हो।